ब्रेकथ्रू ने जिला पुलिस के साथ की कार्यशाला

जेंडर और पोक्सो एक्ट पर भी हुई चर्चा

हज़ारीबाग,8 दिसंबर 2016, मानवाधिकार और महिला हिंसा के मुद्दे पर काम करने वाली संस्था **ब्रेकथ्रू** ने जिला पुलिस के साथ मिल कर होटल ए.के.इंटरनेशनल में जेंडर व पोक्सों के मुद्दे पर कार्यशाला का आयोजन किया।कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ कई थानाध्यक्ष व कर्मचारी शामिल हुए।
दिल्ली से आई जेंडर के मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रही कानून के मामलों की जानकार खदीजा फारूखी ने पुलिस के साथ महिलाओं से संबंधित कानूनों की चर्चा करते हुए कहा कि कानून का पालन अगर ठीक तरह से किया जाए तो वर्तमान कानून भी दोषियों को सजा दिलाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिंसा का सामना कर रहे लोगों की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।उन्होंने **यौनिक हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012** के बारे में भी विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि **पोक्सो कानून** पर और अधिक बात करने की जरूरत है,क्योंकि अभी भी समुदाय में इसको लेकर जानकारी का आभाव है। उन्होंने बताया कि देश का हर दूसरा बच्चा यौनिक हिंसा का सामना कर रहा है। उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है,जिसमें कानून भी आप की मदद करता है।

ब्रेकथ्रू के झारखंड/ बिहार के स्टेट हेड आलोक भारती ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यशाला के माध्यम से हम जाने कि किस तरह से बचपन से ही जेंडर के आधार पर हमारे साथ भेदभाव शुरू हो जाता है,बड़े होने पर कैसे हमारी पहचान के आधार कपड़े और रहने के तौर-तरीके और व्यवहार आदि को समाज द्वारा निर्धारित कर दिया जाता हैं क्योंकि बिना इसको जाने हम महिलायों,लड़कियों और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा,भेदभाव को नही रोक सकते हैं। उन्होंने मुद्दा अधारित रणनीति पर बात करते हुए कहा कि जरूरत इस बात की है कि हम यहां से मिली जानकारी के आधार पर अपने क्षेत्र में जाकर काम करें।उन्होंने कहा कि हमें स्कूल-कॉलेज और समुदाय के बीच जाकर इस मुद्दे पर और अधिक काम करने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस

पुलिस अधीक्षक,हज़ारीबाग, भीम सेन टूटी ने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर पूरा प्रयास करती है कि हर किसी को न्याय मिले ,इस तरह की कार्यशाला हमारी जानाकारी को बढ़ाने के साथ ही कानून के व्यावहारिक उपयोग और उसके असर के बारे में हमें जागरुक करती है।उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम महिलाओं व बच्चों से संबंधित मामलों को और भी अधिक प्रमुखता के साथ देखें जिससे उन्हें तत्काल सहायता मिल सके।

अपर पुलिस अधीक्षक सहदेव साव ने कहा कि यह प्रयास काफी महत्वपूर्ण हैं,इस तरह के संवेदशील विषय पर नियमित कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।इसका लाभ हमारे साथ-साथ समाज को भी होगा।

इस अवसर पर जिला बाल सरंक्षण पदाधिकारी, संजय प्रसाद ने जे जे एक्ट 2015,पॉस्को एक्ट 2012 की चर्चा करते उसके बारे में जानकारी दी।साथ ही उन्होंने एसजेपीयू की भूमिका व सीडब्लूसी और जेजेबी के बारे में बताते हुए कहा कि कानून का पालन बेहतर तरीके से करने के लिए हम सब के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है।

कार्यशाला में लगभग 63 लोगों ने हिस्सा लिया।कार्यक्रम में ब्रेकथ्रू से संजय,कुणाल सहित डिजन शामिल रहे।

ब्रेकथ्रू के बारे में -

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है।कला,मीडिया,लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागेदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,जिसमें हर कोई सम्मान,समानता और न्याय के साथ रह सके।हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से मानवाधिकार से जुडें मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं।इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं।इसके साथ ही हम युवाओं,सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं,जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जेनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

आलोक भारती
स्टेट हेड-झारखंड/बिहार
7050657777
ब्रेकथ्रू